सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः– श्री प्रमोद कुमार सिंघव (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 12/2019

बउनवानः–

सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल

....प्रार्थी

♠ बनाम ♠

मोहनलाल पुत्र कान्हा वगै0 जाति नायक निवासी भगवानपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

दायरा दिनांकः 04.02.2019 निर्णय दिनांक : 04.02.2019

पटवारी हल्का बोहत, भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) के जर्ये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत इस आशय का प्राप्त हुआ है कि ग्राम भगवानपुरा के खसरा नं0 92 का सेटलमेंट जमाबंदी संवत 2044–63 के अनुसार रकबा 3.46 है0 गै0 मु0 खाल खद्दर सिवायचक बिला लगानी दर्ज था। उक्त खसरा नं0 67 से बना है। सेटलमेंट पूर्व आवंटन दिनांक 29.10.1988 की पालना में खसरा नं0 92 रकबा 3.46 है0 में से निम्न प्रकार गैर खातेदारी दर्ज हुयी।

क्रम संख्या	आवंटित रकबा	नाम खातेदार/गैर खातेदार	गैर खातेदारी नामा0	खातेदारी नामा0
01	2.08 है0	मोहनलाल पुत्र कान्हा जाति नायक सा0 देह	35/02.12.1999	276/5.11.1999
02	0.30 है0	पन्नालाल पुत्र नारायण जाति मीना सा0 देह	41/02.12.1991	262/5.11.1999
03	1.60 है0	धन्नालाल पुत्र गोरधन जाति मेघवंशी सा0 देह	59/2.12.1991	258/5.11.1999

इस प्रकार उक्त खसरा नं0 92 में 3.98 है0 का गैर खातेदारो के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने से गांव का कुल चक 0.52 है0 बेशी हो गया है।

उक्त सभी आवन्टियों को गैर खातेदारी से खातेदारी भी दी जा चुकी है। अन्त में सूची क्रमांक सं0 3 पर बिना रकबा मिलान के नामा0 नं0 59 दर्ज किया जो खसरा नं0 92 में शेष रकबा 1.08 है0 का दर्ज करना चाहिए था लेकिन सहवन से 1.60 है0 का दर्ज कर दिया एवं स्वीकार भी हो गया जिससे गांव का चक 0.

है0 बेशी हो गया। उक्त सभी आवन्टियों को साबिक खसरा नं0 67 में से ही आवन्टन हुआ है। साबिक खसरा नं0 67 से वर्तमान खसरा नं0 69 रकबा 1.55 है0, खसरा नं0 90 रकबा 0.91 है0, रकबा 91 रकबा 0.55 है0, खसरा नं0 92 रकबा 3.46 है0 बने है। वर्तमान के खसरा नं0 92 के समीपवर्ती खसरा नं0 69 रकबा 1.55 है0 किस्म खाल खद्दर सिवायचक बिला लगानी दर्ज है जो भी गत खसरा नं0 67 से ही बना है।

अतः सूची क्रमांक 3 पर दर्ज आवन्टी को खसरा नं0 92 में से शेष रकबा 1.08 है0 व समीपवर्ती खसरा नं0 69 रकबा 1.55 है0 में से 0.52 है0 का खातेदार दर्ज किया जा सकता है। जिससे गांव का कुल चक भी यथावत बना रहेगा व आवन्टी का कुल रकबा भी यथावत बना रहेगा।

उक्त प्रकार का प्रार्थना पत्र जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल द्वारा मय अनुशंषा प्राप्त होने पर प्रकरण दिनांक 04.02.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थना पत्र के समस्त सलंग्न दस्तावेजात 1– नकल जमाबंदी चालू 2. सेटलमेंट जमाबंदी 2044–63 3. नामान्तरकरण गैर खातेदारी सं0 35, 41, 59 4. नामान्तरकरण खातेदारी 276, 262, 258 5. क्षतिपूर्ति हेतु खसरा नं0 69 की चालू नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति की रोशनी में प्रकरण का भली प्रकार अध्ययन, अवलोकन एवं मनन के उपरान्त आदेश है कि धन्नालाल पुत्र गोरधन जाति मेघवंशी सा0 देह को खसरा नं0 92 में से शेष रकबा 1.08 है0 व समीपवर्ती खसरा नं0 69 रकबा 1.55 है0 में से 0.52 है0 का खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल राजस्व रेकार्ड में अंकन कर पालना से अन्दर 15 योम में अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2019 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाय